फोन/Phone: 91-22-6656 4266
ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

No.GAD/P/RECT-SrDyTM/896 9th March 2026

Recruitment Notice

The Chairpersons,
All Major Port Authorities

Sir/Madam,

Sub : Filling up two posts of Sr. Deputy Traffic Manager in the pay scale of Rs.80000-220000 to be filled by absorption through Composite method in Mumbai Port Authority – Reg.

.....

1. Two posts of Sr. Deputy Traffic Manager in Mumbai Port Authority will fall vacant w.e.f. 1.8.2026 and 1.9.2026. These posts are to be filled by absorption through composite method from eligible officers of Major Ports, fulfilling the eligibility criteria as mentioned at **Annexure I**.

2. The selection is by merit for which overall grading in the APARs should not be below "Very Good".

3. Applications are invited from eligible and willing officers of all the Major Port Authorities possessing the prescribed qualifications and experience as mentioned at Annexure I. The application shall be submitted through 'Online Application Portal (OAP)' of the Ministry of Ports, Shipping and Waterways' (website http://onlinevacancy. shipmin.nic.in) from **11.3.2026 to 10.4.2026.** No application submitted other than OAP will be accepted.

4. The candidate has to submit the hard-copy of the application form uploaded in OAP to his administrative Port for onward forwarding to MbPA.

5. The administrative Ports are required to forward the applications of the candidates along with the following documents superscribing "Application for the post of Sr. Deputy Traffic Manager in Mumbai Port Authority" **on or before 27.4.2026**.

(i) certified copies of APARs for the last 5 years (2020-21 to 2024-25), duly attested by an officer not below the rank of Dy. HOD on each of the pages;

.....2)

(ii) a statement showing year-wise availability of APARs and grading duly signed by the Head of Department/Secretary. If APAR for a particular year during the last 5 years is not available, "No Report Certificate" may be furnished along with APARs of the preceding years;

(iii) Attested photocopies of all certificates and proof of educational qualification, present and past work experience in the respective post and pay scale;

(iv) No objection certificate from the respective Port;

(v) Undertaking of the applicant that he will not withdraw his candidature, if selected by Services Selection Committee;

(vi) Administrative clearance of the concerned port **(Annexure II)**;

(vii) Vigilance report is to be furnished in the prescribed format **(Annexure III)**;

(viii) Two passport size photographs; and

(ix) If any major or minor penalty has been imposed on the applicant during the last 10 years, the disciplinary case leading to such penalty along with necessary documents may be sent by the forwarding authority along with the application.

6. As per the Ministry's circular No.29018/4/2081/PE.I dated 11.8.2021, in case of receipt of advance copy of application from any candidate, his candidature will not be considered if his application is not received through proper channel from the Port within 15 days of the last date of receipt of applications. Therefore, Major Ports are requested to forward the applications with complete set of enclosures on or **before 27.4.2026**. Applications received after 27.4.2026 will not be considered.

7. While forwarding the application, the Major Ports are to enclose all relevant documents at a time. No piecemeal/part forwarding will be considered

(.....3)

8. The crucial dates of eligibility criteria for two posts of Sr. Dy. Traffic Manager will be the dates of arising of vacancy i.e. 1.8.2026 and 1.9.2026 in terms of Ministry of Ports, Shipping and Waterways' circular No.A-29018/4/2081/PE-I dated 11.8.2021.

9. As per the Ministry's guidelines dated 11.8.2021 regarding filling up the Deputy HoD level posts in Major Port Authorities, Port official who withdraws his candidature for the post after his selection by the Services Selection Committee, will be liable for debarment from future selection to Deputy HOD level posts in all Major Port Authorities for a period of two years.

10. Incomplete applications or applications received after due date will not be considered.

Yours faithfully,

(C. PREMAKUMARI)
MANAGER (HR)
MUMBAI PORT AUTHORITY

Encl: As above

Annexure I

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	**Senior Deputy Traffic Manager**	5	Class-I	16000-400-20800	Selection	42	Essential : (i) a degree from a recognised university. (ii) Twelve years experience in shipping/ cargo operations/ railway transportation in executive cadre in an Industrial/ Commercial/ Govt. Undertaking.	(a) No (b) Yes (c) No	N.A.	By absorption through composite method failing which by deputation from other Govt. organisations and failing both by direct recruitment.	For absorption through composite method, Officers holding analogous posts or the post of Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. in the scale of pay of Rs.13000-18250 with 3 years regular service in the grade in a Major Port Trust or Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Deptt. with 2 years regular service in the grade and a combined regular service of 7 years in the scales of pay of Rs.10750-16750 and Rs.13000-18250 in the respective discipline of Traffic Deptt. in a Major Port Trust will be eligible. For deputation Officers holding analogous posts or holding post of Dy. Traffic Manager and equivalent posts in the respective discipline of Traffic Department in the scale of pay of Rs.13000-18250 in Govt./Semi-Govt./ PSUs or Autonomous Bodies with 3 years regular service in the grade will be eligible. The selection is by merit for which the bench mark in overall grading in the ACRs will not be below "Very Good".	

ANNEXURE II

Certificate to be given by Head of Department of

Shri/Smt. _____

Designation_____

1. It is certified that the particulars furnished by the officer are correct.

2. It is certified that no disciplinary/vigilance case is pending or contemplated against the applicant and he/she is clear from Vigilance and Administrative angle.

3. His/Her integrity is certified.

4. It is certified that no major/minor penalties have been imposed on the applicant during the last 10 years. If any, kindly indicate details thereof.

5. Attested copies of APARs for the last five years (1.4.2020 to 31.3.2025) are enclosed.

6. It is certified that the incumbent meets the requisite eligibility criteria w.r.t. educational qualification and experience as specified in the Annexure I of the circular for absorption through composite method.

SIGNATURE OF THE
HEAD OF DEPARTMENT WITH SEAL

ANNEXURE III
Format III

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

Particulars of the officer for whom Vigilance Comments/Status has been sought

1	Name of Officer (in full)	:	
2	Father's name	:	
3	Date of Birth	:	
4	Date of Retirement	:	
5	Date of entry into service	:	
6	Service to which the officer belongs wherever applicable	:	
7	Revised Payscale	:	
8	Whether Annual Property Return (APR) has been submitted in time	:	Yes / No
9	Date of submission of APR	:	

10. Positions held **including whether the officer has functioned as a CVO in part time or additional charge capacity** (during the ten preceding years)

Sl. No.	Organization (Name in full)	Designation and Place of posting	Administrative/ Nodal Ministry/ Deptt.	From	To

11	Whether any punishment was awarded to the officer during the last 10 years and if so, the date of imposition and details of the penalty.(*)	:	
12	Is any disciplinary / criminal proceedings or Chargesheet pending against the officer as on date (If so, details to be furnished – including reference number if any of the commission)	:	
13	Is any action contemplated against the officer as on date (If so details to be furnished) (*)	:	
14	Whether any complaint with vigilance angle pending against the officer as on date (If yes, details to be furnished)	:	

Date:

(Signature of Head of Department)

15	Whether the officer has been placed on the "Agreed List" or "List of Officers of Doubtful Integrity".(If yes details to be given)	:	
16	Whether any allegation of misconduct involving vigilance angle was examined against the officer during the last 10 years and if so, with what result (*)	:	

The officer is cleared/not cleared from vigilance angle as per the guidelines of DoPT/CVC issued from time to time.

Date :

CHIEF VIGILANCE OFFICER

(*) If vigilance clearance had been obtained from the Ministry/CVC in the past, the information may be provided for the period thereafter.

फोन/Phone : 91-22-6656 4266
ई-मेल/Email: manager.hr@mumbaiport.gov.in
वेबसाईट/Website:www.mumbaiport.gov.in

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
Mumbai Port Authority

सामान्य प्रशासन विभाग
पोर्ट भवन, दूसरा माला
शूरजी वल्लभदास मार्ग, बेलार्ड इस्टेट,
मुंबई - 400 001.

General Administration Department,
Port House, 2nd floor,
S.V. Marg, Ballard Estate,
MUMBAI - 400 001.

SAGARMALA PORT LED PROSPERITY | G20 भारत 2023 INDIA वसुधैव कुटुम्बकम् ONE EARTH • ONE FAMILY • ONE FUTURE | GLOBAL MARITIME INDIA SUMMIT 2023 CONNECT COLLABORATE CREATE | 150 Harbour of Progress & Prosperity

क्र. सा.प्र.वि/का./भर्ती-व.उ.या.प्र/896 9 मार्च 2026

भर्ती सूचना

अध्यक्ष,
सभी महापत्तन प्राधिकरण

महोदय/महोदया,

विषय : मुंबई पत्तन प्राधिकरण में रु. 80000-220000 के वेतनमान में वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक के दो पदों को संयुक्त विधि से आमेलन द्वारा भरने के सम्बंध में ।

.....

1. मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक के दो पद 1.8.2026 और 1.9.2026 से रिक्त हो जायेंगे। इन पदों को अनुलग्नक । में उल्लिखित पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले महापत्तनों के पात्र अधिकारियों द्वारा भरा जाना है।

2. चयन योग्यता के आधार पर किया जाएगा जिसके लिए वार्षिक निष्पादन मूल्यांकन रिपोर्ट (अपार) में समग्र ग्रेडिंग "बहुत अच्छा" से कम नहीं होनी चाहिए।

3. अनुलग्नक । में उल्लिखित निर्धारित योग्यता और अनुभव रखने वाले सभी महापत्तन प्राधिकरणों के योग्य और इच्छुक अधिकारियों से आवेदन आमंत्रित हैं। आवेदन **11.3.2026 से 10.4.2026** तक पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के 'ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल (ओएपी)' (वेबसाइट:http://onlinevacancy.shipmin.nic.in) के माध्यम से ही प्रस्तुत किए जाने चाहिए। ओएपी के अतिरिक्त कोई आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

4. आवेदक को एओपी में अपलोड किए गए आवेदन पत्र की हार्ड कॉपी अपने प्रशासनिक पत्तन में जमा करानी होगी ताकि उसे आगे मुंबई पत्तन प्राधिकरण को अग्रेषित किया जा सके ।

5. प्रशासनिक पत्तनों को उम्मीदवारों के आवेदनों को निम्नलिखित दस्तावेज़ों के साथ अग्रेषित करना होगा । लिफ़ाफ़े पर "मुंबई पत्तन प्राधिकरण में वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक के पद के लिए आवेदन" अंकित होना चाहिए और यह आवेदन **27.4.2026** तक या उससे पहले प्राप्त हो जाना चाहिए:

i) पिछले 5 वर्षों की (2020-21 से 2024-25) के लिए अपार की प्रमाणित प्रतियाँ, जिसका प्रत्येक पृष्ठ उप-विभागाध्यक्ष या उससे उच्चतर अधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित हो,

ii) विभागप्रमुख/सचिव द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित अपार और ग्रेडिंग की वर्षवार उपलब्धता दर्शाने वाला विवरण। यदि पिछले 5 वर्षों के दौरान किसी विशेष कारणवश अपार उपलब्ध नहीं है, तो उससे पिछले वर्षों के अपार के साथ "प्रस्तुत न किया गया प्रमाण पत्र" प्रस्तुत किया जाए ।

iii) शैक्षणिक योग्यता के सभी प्रमाणों और प्रमाण पत्रों की तथा सम्बंधित पद और वेतनमान में वर्तमान और पूर्व कार्य अनुभव से सम्बंधित प्रमाणपत्रों की सत्यापित छायाप्रति;

iv) सम्बंधित पत्तन से अनापत्ति प्रमाण पत्र ।

v) आवेदक का यह वचन पत्र कि यदि सेवा चयन समिति द्वारा उसका चयन किया जाता है तो वह अपनी उम्मीदवारी वापस नहीं लेगा;

vi) सम्बंधित पत्तन की प्रशासनिक मंजूरी (अनुलग्नक II)

vii) सतर्कता रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक III) में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

viii) पासपोर्ट आकार के दो फोटो ।

ix) यदि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई प्रमुख या गौण दंड लगाया गया है, तो ऐसे दंड का कारण स्वरूप अनुशासनात्मक मामला आवश्यक दस्तावेजों सहित अग्रेषण प्राधिकरण द्वारा आवेदन के साथ भेजा जाना चाहिए ।

6. मंत्रालय के दिनांक 11.08.2021 के परिपत्र संख्या 29018/4/2081/पीई के अनुसार किसी अभ्यार्थी के आवेदन की अग्रिम प्रति प्राप्त होने के बाद यदि अंतिम तिथि से 15 दिनों के भीतर सम्बंधित पत्तन से उचित माध्यम से आवेदन प्राप्त नहीं होता है तो उस अभ्यार्थी के आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अतः, महापत्तनों से अनुरोध है कि वे सभी संलग्नकों सहित आवेदन **27.4.2026** तक या उससे पहले भेज दें। 27.4.2026 के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

7. आवेदन अग्रेषित करते समय महापत्तनों द्वारा सभी संगत दस्तावेज़ एक साथ संलग्न किए जाएँ। हिस्सों में या आंशिक रूप से अग्रेषित किए गए दस्तावेज़ों पर विचार नहीं किया जाएगा।

8. वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक के दो पदों के लिए पात्रता मानदंड निर्धारित करने की महत्वपूर्ण तिथियां रिक्ति उत्पन्न होने की तिथियां होंगी जो पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय के दिनांक 11.08.2021 के परिपत्र संख्या ए-29018/4/2081/पीई - 1 के अनुसार 1.8.2026 और 1.9.2026 हैं।

9. महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभागप्रमुख स्तर के पदों को भरने के संबंध में मंत्रालय के दिनांक 11.08.2021 के दिशानिर्देशों के अनुसार, सेवा चयन समिति द्वारा चयन के बाद पद से अपनी उम्मीदवारी वापस लेने वाले पत्तन अधिकारी को दो वर्ष की अवधि के लिए सभी महापत्तन प्राधिकरणों में उप विभागप्रमुख स्तर के पदों पर भविष्य में चयन के लिए प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

10. अपूर्ण आवेदनों या नियत तिथि के बाद प्राप्त आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा।

भवदीय,

11/3/26

(सी. प्रेमाकुमारी)
प्रबंधक (मा. सं.)
मुंबई पत्तन प्राधिकरण

अनुलग्नक I

क्र.स.	पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान (रुपये)	पद ायन या गैर ायन	सीधी भर्ती के लिए अधिकतम आयु सीमा	सीधी भर्ती के लिए निर्धारित शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएँ	क्या सीधी भर्ती के लिए निर्धारित (क) आयु (ख) शैक्षणिक योग्यताएँ (ग) अनुभव पदोन्नति/ विलयन/प्रतिनियुक्ति के मामले में लागू है	परिवीक्षा अवधि	भर्ती की पध्दति (सीधी भर्ती या पदोन्नति/ विलियन/ प्रतिनियुक्ति द्वारा)	पदोन्नति/विलयन/ प्रतिनियुक्ति के मामले में भर्ती किस श्रेणी से की ानी है	अभ्युक्ति
63	वरिष्ठ उप यातायात प्रबंधक	5	श्रेणी - I	16000-400-20800	ायन	42	<u>अनिवार्य</u> : (i) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री (ii) औद्योगिक/वाणि यक/ सरकारी उपक्रम में नौवहन/नौभार प्र ालन/रेल परिवहन में कार्यकारी संवर्ग में बारह वर्षों का अनुभव	क) नहीं ख) हाँ ग) नहीं	लागू नहीं	संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन अन्यथा अन्य सरकारी संगठनों से प्रतिनियुक्ति द्वारा दोनों संभव न होने पर सीधी भर्ती द्वारा	संयुक्त पध्दति द्वारा विलयन के लिए समरूप पदों पर कार्यरत अधिकारी अथवा किसी मे ार पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग के संबंधित विषय में रु 13000-18250 के वेतन मान में उप यातायात प्रबंधक के पद. उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवा अथवा यातायात विभाग के संबंधित विषय में उप यातायात प्रबंधक या समकक्ष पदों पर उस ग्रेड में 2 वर्षों की नियमित सेवा तथा किसी मे ार पोर्ट ट्रस्ट के यातायात विभाग में संबंधित विषय में रु10750-16750 एवं 13000-18250 के वेतनमान में 7 वर्षों की संयुक्त नियमित सेवा पूरी करने वाले पात्र होंगे. प्रतिनियुक्ति के लिये समरूप पदों पर कार्यरत अधिकारी अथवा उप यातायात प्रबंधक तथा यातायात विभाग में रु13000-18250 के वेतनमान में सरकारी/अर्ध सरकारी/सार्व ानिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों में उस ग्रेड में 3 वर्षों की नियमित सेवापूरी करने वाले पात्र होंगे. ायन गुणवत्तापर ि सके लिये वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट में समग्र ग्रेडिंग बे ामार्क "बहुत अ छा" से कम नहीं होगा.	

अनुलग्नक-II

विभाग प्रमुख द्वारा दिया जानेवाला प्रमाणपत्र

श्री/श्रीमती ----------

पद ----------

1. यह प्रमाणित किया जाता है कि अधिकारी द्वारा प्रस्तुत विवरण सही है.

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/सतर्कता का मामला लंबित या विचाराधीन नहीं है और वे/वह सतर्कता और प्रशासनिक दृष्टिकोण से निर्दोष है.

3. उनकी सत्यनिष्ठा प्रमाणित है.

4. यह प्रमाणित है कि पिछले 10 वर्षों के दौरान आवेदक पर कोई बड़ा/मामूली दण्ड नहीं लगाया गया है. यदि कोई हो तो कृपया उसका विवरण दें.

5. पिछले पांच वर्षों (1.4.2020 से 31.3.2025 के लिए एसीआर की सत्यापित प्रतियाँ संलग्न हैं.

6. यह प्रमाणित है कि पदग्राही समग्र योग्यता के माध्यम से मिश्रित पध्दति से भर्ती के परिपत्रक के अनुलग्नक -I में निर्दिष्ट शैक्षणिक योग्यता और अनुभव आदि अपेक्षित पात्रता मानदण्डो को पूरा करता है.

विभाग प्रमुख का हस्ताक्षर मोहर (सील) के साथ

अनुलग्नक III
फॉर्मेट-III

मुंबई पत्तन प्राधिकरण
MUMBAI PORT AUTHORITY

अधिकारी का विवरण, जिनके सतर्कता टिप्पणियाँ/स्थिति मांगी गई है.

1.	अधिकारी का नाम (संपूर्ण)	:	
2.	पिता का नाम	:	
3.	जन्म तिथि	:	
4.	सेवा निवृत्ति की तिथि	:	
5.	सेवा प्रवेश की तिथि	:	
6.	अधिकारी के सेवा से संबंधित वर्ग/वर्ष, संवर्ग आदि जो भी लागू है	:	
7.	संशोधित वेतनमान	:	
8.	क्या वार्षिक संपत्ति विवरणी (Annual Property Returns (APR) वक्त पर प्रस्तुत की है	:	हाँ/नहीं
9.	वार्षिक संपत्ति विवरणी प्रस्तुत करने की तिथि	:	

10. धारण किए गए पद में अधिकारी ने अंशकालिक या अतिरिक्त प्रभार में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में कार्य किया है यह शामिल है (पिछले दस वर्षों के दौरान) :

अ.क्र.	संगठन (संपूर्ण नाम)	पदनाम एवं नियुक्ति का स्थान	संबंधित प्रशासनिक/प्रधान मंत्रालय/विभाग	द्वारा	तक

11.	क्या पिछले 10 वर्षों के दौरान अधिकारी को कोई सजा दी गई थी, और यदि हाँ, तो आरोप लगाने की तिथि और दण्ड का विवरण(*):	:	
12.	क्या आज की तिथि को अधिकारी के खिलाफ कोई अनुशासनात्मक/आपराधिक कार्यवाही या चार्जशीट लंबित है (यदि हाँ, तो आयोग द्वारा यदि कोई संदर्भ संख्या तो तिथि के अनुसार दी गई हो उसके साथ विस्तृत विवण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
13.	क्या अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई कार्रवाई की गई है (यदि हा, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.)	:	
14.	क्या सतर्कता की दृष्टि से अधिकारी के खिलाफ आज तक कोई शिकारयत लंबित है (यदि हाँ, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए.	:	

(विभाग प्रमुख के हस्ताक्षर)

तिथि :

15.	यदि अधिकारी को "सहमत सूची" अथवा "संदिग्ध इमानदारी के अधिकारियों की सूची" पर रखा गया (यदि हां, तो विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए)	:	
16.	यदि सतर्कता की दृष्टि से पिछले 10 वर्षों में अधिकारी के खिलाफ दुराचार का आरोप की जाँच की गयी थी. यदि हां तो उसका परिणाम क्या है.(*)	:	

आवेदित पद विभाग प्रमुख के स्तर का चयन पद होने के कारण, उक्त अधिकारी, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग/ केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा समय-समय पर जारी किये गये दिशा निर्देशों के अनुसार, सतर्कता दृष्टि से निर्बाध है/ निर्बाध नहीं है.

(मुख्य सतर्कता अधिकारी)

तिथि :

(*) यदि अतीत में मंत्रालय/सीवीसी से सतर्कता मंजूरी प्राप्त की गई थी तो उसके बाद की अवधिके लिए जानकारी प्रदान की जा सकती है.